18/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि इस प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त मुकदमा वाद दिनांक 26/5/22 को अंतिम रूप से निर्णीत हो चुका है। प्रार्थना पत्र को आगे चलाया जाना कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से खारिज होकर दाखिल दफ्तर हो।
1	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:34:53 IST
Reason: SelfAttested